गुरचरण सिंह

बनाम

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश और अन्य

15 सितंबर, 2005

[अरिजीत पसायत और सी. के. ठाकर, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 12 और 226 - "राज्य" - सहकारी समिति - का कर्मचारी - की सेवाओ की समाप्ति - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती - उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में रिट याचिका खारिज की गई क्योंकि उसके विचार में सहकारी समिति अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं थी - अभिनिर्धारित किया, ऐसा प्रतीत होता है कि बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं को उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए नहीं रखा गया था कि क्या प्रतिवादी-समिति अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" थी - उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह प्रदीप कुमार के मामले में जो कहा गया है उसकी पृष्ठभूमि में पोषणीयता के बारे में प्रश्न की जांच करे - रिट याचिका को पत्रावली पर पुनर्स्थापित की गई- उच्च न्यायालय को पोषणीयता के साथ-साथ गुण-दोष के प्रश्न पर निर्णय करना है।

*प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी व अन्य, [2002] 5 एससीसी 111, अनुकरण किया।

सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ व अन्य, [1975] 1 SCC 485, निरस्त किया गया।

अजय हसिया और अन्य बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य, [1981] 1 एस. सी. सी. 722, संदर्भित ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3499/2005

सी. आर. संख्या 9/1998 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.98 से

अपीलार्थी की ओर से श्यामला पप्पु, आर. कृष्णमूर्ति और मोहन पांडे।

प्रतिवादीगणो के लिए नरेश के. शर्मा और जावेद महमूद राव

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था-

वर्तमान अपील सिविल पुनर्विलोकन नंबर 9/1998 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के फैसले के खिलाफ निर्देशित है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, सिविल रिट याचिका संख्या 1844/1995 में पारित पहले के आदेश को वापस ले लिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। यह द्रष्टिकोण मुख्य रूप से इस आधार पर लिया

गया था कि प्रतिवादी एक सहकारी समिति थी और इसलिये, यह भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 12 के अर्थ में शामिल नहीं थी। इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के दो खंडपीठो के फैसलों पर भरोसा रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, पुनर्विलोकन स्वीकार किया गया था और रिट याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। मामले के गुणदोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रदीप कुमार बिस्वास इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एवं अन्य., [2002] 5 एससीसी 111 में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि रिट याचिका सुनवाई योग्य है। उक्त निर्णय द्वारा, सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ ओर अन्य, [1975] 1 एससीसी 485 के मामले मे संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया गया था। अजय हसिया और अन्य खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य, [1981] 1 एस. सी. सी. 722 के मामले मे संविधान पीठ के फैसले की व्याख्या की गई और यह निर्धारित करने के लिये कई परीक्षण किये गये कि क्या किसी विशेष निगम या निकाय को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य"की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"अंततः जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि अजय हासिया के मामले (उपरोक्त) में तैयार किए गए परीक्षण सिद्धांतों का एक कठोर समूह नहीं हैं, इसलिए यदि कोई निकाय उनमें से किसी एक के भीतर आता है, तो उसे अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में सवाल यह होगा कि क्या स्थापित संचयी तथ्यों के आलोक में, निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व में है या उसके नियंत्रण में है। इस तरह का नियंत्रण प्रश्नगत निकाय के लिये विशेष होना चाहिये और व्यापक होना चाहिये। यदि यह पाया जाता है तब अनुच्छेद 12 के तहत निकाय एक राज्य है। दूसरी ओर, जब नियंत्रण केवल विनियामक होता है, चाहे अन्यथा क़ानून के तहत हो, तो यह निकाय को राज्य बनाने में काम नहीं आयेगा।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिये बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं को नहीं रखा गया था कि क्या प्रतिवादी समिति संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" थी, उपरोक्त के मददेनजर, हमे लगता है कि उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह प्रदीप कुमार के मामले (उपरोक्त) में जो कहा गया है, उसकी पृष्ठभूमि में पोषणीयता के संबंध में प्रश्न की जांच करे। पक्षकारो को इस संबंध में अपने अपने रूख के समर्थन में सामग्री रखने की अनुमति होगी। चूंकि मामला 1995 से लंबित है और इसमें

अपीलार्थी की सेवाओं की समाप्ति की वैधता या अन्यथा का प्रश्न शामिल है, यह पक्षकारो के हित में होगा यदि रिट याचिका का निपटारा यथाशीघ्र किया जाये, अधिमानत: हमारे आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर ।

अंतिम परिणाम में, सिविल रिट याचिका संख्या 1844 /1995 को पत्रावली पर बहाल किया जाता है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। उच्च न्यायालय रिट याचिका की पोषणीयता के साथ साथ गुणदोष के प्रश्न पर भी निर्णय करेगा। यदि यह मानता है कि इसका अधिकार क्षेत्र है, तो यह पक्षकारो द्वारा उनके संबंधित रूख के संबंध में उसके समक्ष रखी जाने वाली सामग्रियो को ध्यान में रखते हुये गुणो पर विचार करेगा।

अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।